

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फा. सं. न्यूपा/प्रशासनिक/आरओ/परिपत्र/030/2019

दिनांक: 04 सितंबर, 2023

अधिसूचना

यह देखा गया है कि विभिन्न अनुभाग/एकक के अनुभाग प्रभारियों और अधिकारियों की अनुपस्थिति के दौरान अत्यावश्यक कार्यों में देरी होती है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, सभी अनुभाग प्रभारियों/अधिकारियों को अपने कर्तव्य का प्रभार अन्य अनुभाग प्रभारियों/कर्मचारियों को देना होगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमित कार्य हमेशा की तरह जारी रहें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

सभी अनुभागों /एककों के अनुभाग प्रभारी/कर्मचारी

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - माननीय कुलपति की सूचना हेतु
2. कुलसचिव के निजी सहायक - सूचनार्थ
3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
4. वित्त अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट को संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड करने के अनुरोध के साथ